प..क्षे-.II/ लोक सूचना/2023/106/ 1795 दिनांक : 10/03/2023

सेवा में,
श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव,
730, अग्रवाल कालोनीजबलपुर(म.प्र.) 482002,
मोबाइल नंबर- 9300650955

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के संबंध में ।

महोदय,
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा दिनांक 20.02/2023 को प्रेषित पत्र (रजि.सं.- PGCIL/WRTS-II/2023/106), पावरग्रिड क्षेत्रीय मुख्यालय में दिनांक 24/02//2023 को प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र में मांगी गयी जानकारी इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, CPIO के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपीलिय अधिकारी के सम्मुख अपील कर सकते हें । आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अपीलिय अधिकारी का नाम और पता निम्नानुसार है:-

श्री कृष्ण कुमार टी. आर. (कार्यपालक निदेशक), अपीलीय अधिकारी,
पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,
क्षेत्रीय मुख्यालय, पश्चिम क्षेत्र-2
प्लॉट नं.-54, रिया-रेवती रिसोर्ट के पास, समा-सावली रोड,
वडोदरा – 390 024 (गुजरात).

धन्यवाद सहित,

10/03/2023
(पंकज दलाल)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा

संलग्न : यथोपारि

प्रतिलिपि: -

1. कार्यपालक निदेशक (प.क्षे-.II), वड़ोदरा – सादर सूचनार्थ
2. वरिष्ठ महाप्रबंधक (सतर्कता), प.क्षे.-॥
3. मुख्य प्रबन्धक (LAW), प.क्षे.-॥

This has reference to the RTI No. PGCIL/WRTS-II/2023/106 by Mr. Ramesh Kumar Shrivastava, received on dated 15/02/2023 regarding Details of compensation assessment of house located at P.H.N. 67, Khasra No. 343/2, 387/2, 387/1 and 387/2 at Gundraikhurd village pertaining to 765Kv D/C Gadarwada-Jabalpur Line and compensation assessment rule – pointwise concise reply is as follows:-

क्र.	आरटीआई अर्जी	आरटीआई का उत्तर
1	आवेदक की मालकियत की सम्पत्ति गुंदरईखुर्द प.ह.नं--67, खसरा नं 343/2, 387/1 एवं 387/2 जिस पर 12′ x 25′ पर पक्का मकान बना हैं उस के ऊपर से गुजर रही 765 के.व्ही डबल सर्किट गाडरवारा-एन.टी.पी.सी से जबलपुर पूलिंग स्टेशन संचरण पथ के कारण मुआवजा निर्धारण हेतु नियम/उपनियम की प्रमाणित प्रति" बाबत|	हाई टेंशन लाइन (वर्तमान मामले में 765 के.व्ही डबल सर्किट गाडरवारा- जबलपुर पूलिंग स्टेशन संचरण पथ) किसी ईमारत (कोई भी अवसंरचना) के ऊपर के हिस्से से गुजरने की स्थिति में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम 2010 के उपनियम की धारा 61 (2) ii में वर्णित सुरक्षित दूरी के मापदंड के आधार पर मुआवजा निर्धारण की योग्यता जाँची जाती हैं| विनियम में उल्लिखित सुरिक्षित दूरी का अनुपालन न होने से मुआवजा निर्धारण किया जाता हैं| अन्यथा मुआवजे का प्रावधान नहीं होता | उक्त नियम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी किये जाते हैं तथा इस संबंध में दस्तावेज प्राधिकरण की वेब साईट www.cea.nic.in से प्राप्त किये जा सकते हैं|
2	मुआवजा राशि प्रदान किये जाने की दरें एवं नियमों से संबंधित दस्तावेजों की प्रति प्रदान करने बाबत"|	मुआवजा देय होने की स्थिति में पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संबंधित विभागों के माध्यम से, उनके नियमानुसार प्रभावित अवसंरचना का सत्यापन तथा मूल्यांकन कर प्राप्त दरों के आधार पर मुआवजा प्रदान करने की कार्यवाही की जाती हैं |

10/03/2023

(पंकज दलाल)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा

24 FEB 2023

491

प्रति,

श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी
पावर गिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
वडोदरा (गुज.)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदाय हेतु ।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नानुसार जानकारी व प्रमाणित दस्तावेजों के स्वच्छ प्रतियाँ प्रदान करें –

01. नियम / उपनियम की प्रमाणित प्रति, जिसके तहत आवेदक की मालकियत की सम्पत्ति मौजा गुंदरईखुर्द, प.ह.नं. 67, खसरा नं. 343 / 2, 387 / 1 एवं 387 / 2 जिस पर 12' x 25' पर पक्का मकान बना है उसके ऊपर से गुजर रही 765 के.व्ही. डबल सर्किट गाडरवारा एस.टी.पी.सी. से जबलपुर पूलिंग स्टेशन संचरण पथ के कारण मुआवजा निर्धारण किया जाना है, से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति समयसीमा में प्रदान करें ।

02. मुआवजा राशि प्रदान किये जाने की दरें एवं नियमों से संबंधित दस्तावेजों की स्वच्छ पठनीय प्रति प्रदान करें ।

आवेदन के साथ पोस्टल आर्डर नं. 20G 107136 राशि रू. ~~10~~ 20/– (Twenty Rs.) का संलग्न है । दस्तावेजों हेतु और जो भी शुल्क देय होगा कृपया सूचित करने का कष्ट करें ।

अतः निवेदन है कि कृपया उपरोक्त जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समयावधि में प्रदान करने का कष्ट करें ।

धन्यवाद ।

भवदीय

जबलपुर
दिनांक : ~~05.01.2023~~ 20/02-23

Rsketcen
(रमेश कुमार श्रीवास्तव)
730, अग्रवाल कालोनी,
जबलपुर 482 002 (म.प्र.)
मोबा.नं. 9300650955

संलग्नः उपरोक्तानुसार पोस्टल आर्डर

AAJ53 94

श्री विकास देवांगन
उचित कार्यवाही हेतु
24/02/23

अधपन्ना COUNTERFOIL

इसे फाड़कर प्रेषक अपने पास रख ले।
To be detached and kept by the Sender.

पोस्टल आर्डर
रुपए 20.00 Rs.
POSTAL ORDER

किसे अदा करना
To whom payable ....

किस डाकघर में
At what Office ....

क्या इसे क्रास किया है
Whether crossed ....

भेजने की तारीख
Date sent ....

20G 107136

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO Accounts officer of Public Authority PowerGrid corporation of India Ltd Vadodara को

बीस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TWENTY ONLY

रुपए 20.00 Rs

AT THE POST OFFICE AT ....

के डाकघर में अदा करें।

कमीशन COMMISSION रुपया 1.00 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

5-1-23
पोस्ट मास्टर POSTMASTER

सत्यमेव जयते

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

20G 107136